कार्यपालिका और न्यायपालिका

1 जोड़ा
2007
3 एक

9414205
234

प्राथमिक मंदी, राष्ट्र

एक परिवार से एक व्यक्ति

सत्ता की राजनीति = 1 विचारधारा विहीन

भारत जोड़ो यात्रा = पदि, युवा

हिंसात्मक - धार्मिक राजनीति

राजनीति का अपराधीकरण =

दूध का कारोबार

55 प्रतिशत युवा

SC/ST/OBC/Muslim
50% प्रतिशत

भारत जोड़ो यात्रा

किसान, मजदूर

Connection की तलाश

Dress Code

9784742307

1 Social harmony
2 Values of Constitution
3 Highlight Concerns of people
4 Advisory Board

Hit & Run

कार्य प्रणाली

2013

IAS

opposition

V.P.

दि. 17/5/2022

(1)

कार्यपालिका और न्यायपालिका

भारत में प्राय कार्यपालिका और उच्चतम न्यायपालिका और विधायिका के सम्बन्ध दिखाई देते हैं वे एक प्रकार से प्रजातंत्र के जीवित और शक्तिशाली होने की पहचान है। भारत सरकार के द्वारा राज्य में भी उच्चतम न्यायालय का सम्मान है लेकिन कभी उच्चतम न्यायालय तो उच्चतम न्यायालय भी याद दिलाते हैं तो आँख दिखा रहा है कभी कभार कम से कम ... सरकार को पीछे हटना पड़ा है कुछ मामलों में सरकार को पीछे हटना पड़ा

श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय द्वारा सामने प्रयास उन्होंने देशी राजाओं को जो (प्रिवीपर्स) देने से इंकार कर दिया था। यह काम और इस लम्बे ही कर दिया यह काम प्रजातांत्रिक व समाजवादी मूल्यों पर प्रजातांत्रिक ... सुप्रीमकोर्ट ने इसकी प्रावधान को सुप्रीमकोर्ट ने घोषित कर दिया। पूर्ववर्तिका ... के मामले में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ... वैधानिकता भी ऐसा ही हुआ, इस पर भी यद्यपि इसमें का प्रश्नचिह्न लगाया, परन्तु बैंकों का लोक होगई प्राम लोगों की पहुंच ... इन्दिरा गांधी पीछे नहीं हटी और (संविधान में ...) उन्होंने ... प्रावधान संशोधन कर दिया।

भारतीय प्रजातंत्र में प्राय भारतीय प्रजातंत्र के बाद भी सुप्रीमकोर्ट की डोर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की विधायिका की कार्यपालिका एक प्रमुख ... है ... बाद मुंह तो बनाती है ... चुपचाप ... परन्तु चुपचाप मानने को मजबूर मवाल, ... इतने बड़े दबाव हो जाती है।

समस्याएं हल करने और जनता की भूमिका बारे
कि जैसे कि ~~प्रस्तुत करती है~~ कार्यपालिका ~~की~~ मूल
(2) करती है परन्तु प्रायः जनता के संवैधानिक मूलभूत
भूमिकाओं की पालना, कार्यपालिका द्वारा
(व अभी न्यायपालिका का कार्य है)
राजनैतिक प्रभाव पर लिए गए फैसलों अथवा
~~अपनाइयों~~ निर्णयों से ~~कुछ~~ न्यायपालिका राहत
प्रतिबद्धता
को प्रदान करती है। देश में गलत व
पार्टीगत फैसलों से प्रभावित मेवी और गहरे
निराशावाद, बेकारी बेगारी, अपराध, हिंसा, और नैतिक भूमिका
कानूनी प्रावधानों से निजी और मिले, पीड़ित पक्ष चाहे
स्तर में हो, हलाकि बिना कुछ बात चौथी
बकाया की मांग किए
बढ़ती जा रही है, समाज में हलाकि
निराशा बढ़ रही है, न्याय पाने का
उत्पन्न हो रही है न्याय में विलम्ब हो रहा है
ऐसे में न्यायपालिका किसी प्रकार प्रश्न
ऐसे में न्यायपालिका का छोड़ना चुपचाप
संवैधानिक भूमिकाओं का ~~कुछ~~ सकती है कि
यह सोचकर कुछ कार्यपालिका
राजनैतिक नेतृत्व व
को यह पसंद नहीं है। भूमिकाओं की
जब व्यक्ति प्रत्येक सभी तरफ से निराश
सुरक्षा के लिए सभी तरफ से न्यायपालिका की
हो जाता है तब वह न्यायपालिका वहां भी जब
शरण में जाता है परन्तु वहां भी जब नहीं मिलता, तो
उसे समय पर न्याय नहीं मिलता तो प्रशासनिक दबाव
प्रायः टूटने लगती है। व्यक्ति परेशान होता है और
एवं न्याय से व्यक्ति स्वतंत्रता, पारदर्शिता,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता,
न्यायपालिका होने लगे तो
न्यायप्रियता व्यवहारिकता पर संदेह होने लगे तो ~~समानता~~
लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता
कानून के शासन पर सन्देह होजाता है

(प्रशासनिक दबाव में न्यायाधीश तुरंत राहत नहीं दे सके प्रासंगिक तारीखों में फंस जाये तो)

(3) नागरिक से नागरिक, प्रोटोकॉल पद की न्यायाधीशों को
महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, ऐसे कोई
अदालत के रहते प्राय तक किसी जज को कदापि
प्रावधान प्रासंगिकता के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है।
ऐसे में कार्यपालिका की गलती साबित के साथ न्याय
पालिका की गलती साबित को बचाने के लिए
प्रतिवार्य है, नागरिकों को ~~[illegible]~~ विधि के समक्ष
समता एवं विधियों के समान संरक्षण की
व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

कानून बनाना संसद का काम है, इसे न्यायिक दायित्व
न्यायालय सुझाव दे, इसे मौलिक अधिकारों
के बाहर माना है परन्तु न्यायिक सक्रियता व हमले
के सम्बन्ध में न्यायिक देशहित, जनहित, लोकतंत्र
को देखना होगा। देशहित, जनहित, लोकतंत्र की रक्षा हेतु, जेलों
व संविधान के प्रावधानों, अस्पतालों, विद्यालयों, धार्मिक (आर्थिक विभागों, संस्थाओं)
के संचालन, पुस्तकालयों, प्रदूषण निर्देश व
कामकाज पर भी ~~पु~~ प्रदूषण कार्यपालिका के अधिकार व अधिकारों में
फैसले कार्यपालिका के एक सक्रिय व जीवंत
हस्तक्षेप नहीं है अपितु अन्यथा कार्यपालिका
गणराज्य की निशानी है प्रशासन लोकतंत्र
प्रयास तानाशाही मनमानी फैसले करती रहेगी।
की पुनर्दृष्टि पर न्यायपालिका के फैसले
न्यायाधीश जान मार्शल हालांकि प्रजातंत्र
संविधान को लोक कल्याण के हर कदम को मिटाने
की रचना में प्रयोग नहीं माना जा सकता, न ही अदालतों
को इसका प्रावधान के लिए लौकिक माना
जा सकता। संविधान व्यवस्था का एक साधन है, प्रतिवाद
अनुच्छेद है कि व्यवस्था के अधिकारों का केन्द्रित
होने में ही है, उन सभी नागरिकों के लिए
सार्थक प्रवर्तित दायक साबित होगा, प्रतिवादित
को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
परन्तु प्राय अदालतों के फैसलों के प्रति
प्रशासन का दबाव मिलता है, सामाजिक
प्रथा का प्रभाव मिलता है, विवाद, निन्दा,
पुरानी सोच यों भी रहती है, प्रार्थना
प्रतिवादियों की सलाह गौर किया, निर्णय
स्वतंत्र प्रतिबन्धित मार्ग लेकर भी प्रयोग नहीं होते हैं
वहीं प्रायः ही प्रयत्न नहीं होते हैं। कार्यपालिका
कारण नहीं लिया जाता है नियुक्ति, पदस्थापन,
राजनीतिक कारणों से नियुक्ति, सरकारी
प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं, X

X के स्थान पर अन्य कारणों निम्न लिए जाते हैं। फैसलों में भी व उनके क्रियान्वयन में भी जनहित कोई लाभ नहीं है। सामने प्रत्यक्ष सहमति पर सहमति हो गई है। क्यों चर्चा हो गई है। कानून का सविधान जनता का विश्वास है। फैसले का निर्णय कार्यपालिका का पर निर्णय न्यायपालिका का है, पर स्वतंत्रता प्रतिष्ठित व वास्तविक स्वतंत्र प्रतिनिधित्व में विकेन्द्रीकरण रहा है। राजनीतिक कार्यपालिका समझौता का रक्षक होता, प्रजातंत्र को चाहिए कानून का शासन है, संविधान व नागरिक अधिकार की रक्षा है, देश में विश्वास प्रतिबद्ध विकास है। विकास विकेन्द्रीकरण है, विधायिका व न्यायपालिका का है, कार्यपालिका की प्रशासन के प्रति सम्मान की मुख्य प्रतिबद्धता है।

1. ज्यूडीशियल शब्द फ्रेंच भाषा के ज्यूडकस (न्यायाधीश) का एक विशेषण है।

2. ज्यूडीशियल एक्टिविज्म का अर्थ है
ऐसी प्रगतिशील और सामाजिक नीतियों के पक्ष में
जाने के लिए उपयोग करना है।
Social Engineering का आह्वान करना है।

विधायिका व कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप
करती है। हालांकि कानून बनाने का काम विधायिका
का होता है।

वी.आर. कृष्णा अय्यर ने पहला ज्यूडिशियल एक्टिविज्म
सामाजिक न्याय के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति का
उपकरण। अभिनव दृष्टिकोण और सामाजिक
हितों के संतुलन में आने वाली बाधाओं को
दूर करने के लिए पाउण्ड ने सोशल इंजीनियरिंग
शब्द दिया था।

न्यायपालिका को — संविधान का विश्लेषक
सामाजिक बदलाव का संवाहक
[illegible] नीतियों का [illegible]
युग की [illegible] के लिए सामाजिक समीक्षा
संतुलित करने के लिए

ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है
न्यायपालिका को सामाजिक क्रान्ति का पुरोधा
होना था जो सामाजिक समाज को उचित दिशा [illegible]
[illegible] न्यायपालिका पर विचार [illegible] एक समिति
गठित की गई।

सामाजिक क्रान्ति के संरक्षक के रूप में उसे
सामाजिक व आर्थिक अधिकारों का संरक्षक
उसे नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की तरह [illegible]।
समिति की रिपोर्ट में, एक [illegible] की तरह दिया गया
[illegible] [illegible] का [illegible]
[illegible] सामाजिक समीक्षा [illegible] हो।

दुष्परिणाम
regular
अंधता दिखाना
लोकतंत्र
[illegible]।
एक या दो व्यक्ति।
जिम्मेदारी क्या?

(2)

प्रेज़ीडेंशियल मॉडल में
शक्तियों के विभाजन और
शक्ति संतुलन के सिद्धान्त पर
आधारित है। कार्यकारी शक्तियों
या न्यायपालिका के अंकुश होते हैं।
Westminster मॉडल की विशेषता
संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धान्त है/

प्रथम CJI हीरालाल कानिया ने
भारतीय समाज में बदलाव के
प्रति सजग रहे।
प्रगतिशील जनता के नेतृत्व की आवश्यकता के तौर पर
धारणा [illegible] की अवहेलना
सामाजिक न्याय की अवधारणा को
महत्व प्रदान नहीं किया/

AH.G. M.C. Sheetalwad

नेहरू ने प्रगतिवादी न्यायपालिका से
संविधान को सुरक्षित रखा/
1964 = संविधान की समीक्षा की इच्छा
कार्य के लिए संवैधानिक संशोधनों का
इस्तेमाल किया — वंचितों की रक्षा किया
60-70 = समाजवादी नीतियों की राह
इन्दिरा जी की सरकार [illegible] बीच में
बैंकों राष्ट्रीयकरण "प्रिवीपर्स =
इंदिरा गांधी ने विकास विरोधी, गरीब विरोधी
करार किया —
मौलिक अधिकारों को संशोधित
करने का नहीं

प्रतिबद्धता [illegible]
[illegible] संस्थान ही नहीं
जवाबदेही की [illegible] [illegible] लोकप्रियता को आवश्यकता
[illegible] वैधानिक [illegible] के लिए जवाबदेह न्यायपालिका [illegible]
आवश्यक [illegible]

न्यायपालिका
सामाजिक और आर्थिक
उद्देश्यों को मानने लगी
प्रस्तावना मार्गदर्शक
को प्रोत्साहित — [illegible]
नीतिनिर्देशक तत्वों को
संवैधानिक महत्ता दिया
न्यायाधीशों के बीच
विचार
शक्तियों के विभाजन
संविधान के प्रावधान
में हस्तक्षेप —
जनादेश नहीं होता —
कानून बनाने वाली भूमिका
नहीं अपना सकती —
जानबूझकर विधायी सत्ता
का काम है/
निर्वाचित न्यायाधीश [illegible]
न्यायिका जो कानून बनाते —
आधिक लोकप्रियता
राह — नियुक्ति
न्यायपालिका में नियुक्ति
का प्रावधान संविधान में है
न्यायपालिका का कार्य सरकार
चलाना नहीं है
विधायिका [illegible] सहमति से [illegible] कार्य
जो [illegible] का
से [illegible]
के शासन [illegible]
'विधायिका [illegible]
होता है

होने लगी है। सुप्रीमकोर्ट के जज हाईकोर्ट के जजों पर स्पष्ट टिप्पणियां करने लगे हैं, बार एसोसियेसन व बार कौंसिल "अंकल जजेस" पर टिप्पणियां करते हुए मांग करने लगे हैं दूसरे प्रदेशों में उनकी नियुक्ति हो। कोर्टों में कहा जा रहा है कोई ताकत है (भगवान) जो देश को चला रहा है। रेगुलर मुकदमों की सुनवाई में वर्ष लगते हैं। ~~महत्वपूर्ण~~ प्रेस मामले मिनटों में तय कर दिये जाते हैं। न्यायालय यह भूल रहे हैं कि वे लोकतन्त्र के तीसरे स्तम्भ हैं, प्रथम दो स्तम्भों का भी अहम महत्व है, पी. आई. एल. का दुरुपयोग ~~हो रहा है~~। जनहित याचिकाओं होने की चर्चा चल रही है

सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्षस्थ उच्चतम न्यायालय है। न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित कर सकता। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही मजबूर हो न्यायालय में अविश्वास प्रकट नहीं कर सकता। उसे राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा एवं उत्प्रेषण पर रिट जारी करने का अधिकार है। संविधान में निष्पक्ष न्याय की धारा है। न्यायपालिका को कुशल, जवाबदेह और संवेदन-शील स्वरूप बनाए रखने के लिए अपरिहार्य आवश्यकता महसूस की जा रही है। पहले न्यायाधीशों के चयन व नियुक्तियों में कार्यपालिका-
अ का रोल था परन्तु अब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं सक्षम है। पीड़ितों को सस्ता, त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिल सके यह विश्वास अहम है।

संविधान देश का मूलभूत व सर्वोपरि कानून है संविधान के प्रतिकूल जाने वाला कोई भी कानून अवैध है। अदालत का कर्तव्य है कि वह संविधान के प्रावधानों का पालन कराये और कानून की अवहेलना नहीं करने दें।

समीक्षा व सक्रियता दो पृथक अवधारणाएं हैं। न्यायिक सक्रियता प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में आने के लिए उत्प्रेरित करता है। अदालती निर्णयों में सोशल इंजीनियरिंग, समता, समानता, सामाजिक न्याय ~~आस्था~~ होता है, दलित व निम्न तबकों के लिए उच्च न्यायालय व उच्चतम ~~न्यायालयों में नियुक्ति/चयन~~ नहीं होता है। कई बार विधायिका और कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप होता है। दूसरी ओर अतिरस वी. आर कृष्णा अय्यर के अनुसार "ज्युडीशियल एक्टीविज्म सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक उपकरण है व सकारात्मक कार्यवाही से प्राप्त किया जा सकता है"। व्यक्तिगत अहम का कोई स्थान संविधान में नहीं है।

स्वतंत्रता के पश्चात शुरुआती वर्षों में अदालतों ने संविधान के प्रावधानों की परम्परागत और शाब्दिक व्याख्या ही की, कार्यपालिका ने संविधान की न्यायिक समीक्षा की हदबंदी के लिए संशोधनों का इस्तेमाल हुआ। न्यायपालिका ने बाद में अपने आप को वाद वाही लड़ने वाले सक्षम संगठन का प्रयोग किया। जनहित याचिकाओं को माध्यम बनाया। न्यायपालिका को यह संवैधानिक अपेक्षा है कि अपनी शक्तियों और दायित्वों का निर्वाह करते समय वह उन सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों का ध्यान रखें जिनकी संरक्षा और संवर्धन संविधान करता है, भूमिका व दायित्वों का सम्मान और मूल्यवर्धन अपने दायरे और सीमा में रहते हुए करें। ~~संविधान निर्माताओं ने~~ न्यायपालिका नीति निर्माता का कार्य नहीं करें, व्याख्या करने के नाम पर संविधान व कानून नए सिरे से लिखने का प्रयास नहीं करें, विधायिका व कार्यपालिका की हेठी नहीं करें संतुलन बनाये रखें, किसी अंग के हाथ में ज्यादा शक्ति अथवा उच्चता की भावना पैदा नहीं हो। न्यायपालिका भारतीय संविधान में कानून देने वाली संस्था नहीं बन सकती। इन्स्टीट्यूशनल इन्टीग्रिटी का इन्टरप्रिटेशन लतरनाक भी हो सकता है।

वर्षों और दशकों से करोड़ो नियमित मामले अदालतों में पड़े हैं उन्हें छोड़कर डिस्पुट शिकायतों वाली, काल्पनिक व वास्तविक याचिकाओं में समय खर्च होता है यह अहसास रखना अनिवार्य है। न्यायिक हस्तक्षेप, न्यायिक लोकप्रियता में नहीं बदले, विश्वास तक सीमित रहे यह ध्यान में रखना होगा। न्यायालय लोकतन्त्र में अंकुश रहे अवरोध्य नहीं बने, लोकतन्त्र शिखर का कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रह जाय। संवैधानिक अन्य अंगों की प्रतिष्ठा भी कायम रहे। जन विश्वास न्यायिक सक्रियता को वैध ठहराता है परन्तु उनकी बढ़ती सक्रियता खतरनाक हो सकती है वह सुधार की गतिशीलता व संविधान की भावना को बिगाड़ सकती है। जनादेश की अवहेलना व निरादर नहीं हो, विधायिका व कार्यपालिका सुचारू रूप से कार्य कर सके उनके कार्यों में अनावश्यक रुकावट नहीं हो यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि वे जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। नीति बनाने की जिम्मेदारी राजनैतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका (नीतियां लागू करने के लिए) कानूनी दायरे में पूरी तरह कार्य कर सके यह भी पूर्ण रूप से आवश्यक है। सक्रियता पुनर्लेखन का कार्य नहीं करने लगे, संवैधानिक ढांचे को चोट नहीं पहुंचे यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है। जनहित याचिका बेलगाम घोड़ा नहीं बने एक दृढ़ और शांत न्यायिक अंकुश उसकी पीठ पर सदैव सवार रहे और ध्यान रहे लोकतन्त्र में जनता सर्वोपरि है। आम जन की इच्छापूर्ति की जिम्मेदारी अन्य दो महत्वपूर्ण अंगों, विधायिका व कार्यपालिका की भी है। उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी तो पूरी व्यवस्था डगमगा जायगी।

[illegible] सिंह

जस्टिस फ्रैंक फर्टर के अनुसार

न्यायाधीश को न तो कानून की परिधि में बहकना
घूमना न ही संकुचित करके उस सीमा में रखना चाहिए।
न्यायाधीश विधि बनाने के लिए नहीं है, विधि का
निर्वचन करने के लिए है। न्यायाधिपति कार्डोजो के अनुसार

[illegible] "कि हम न्यायाधीश साधु या विद्वान नहीं हैं, हम भी
जीवन की सजीव धारा के नागरिक हैं।" ~~स्थान नहीं~~

पूर्ति — न्यायालय विधि बनाने के लिए संसद का स्थान नहीं
ले सकता। यदि ऐसा हुआ तो न्यायालय शीघ्र ही
न्यायाधीशों के कुछ लोगों तंत्रों में बदल जायेगा।

न्यायाधीश "कुछ" दूसरे वे बातें नहीं करते।